झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

संख्या 13/वरीय विविध-03/2010 का०..... राँची, दिनांक.....

विषय:- शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में LLM की उपाधि धारण करने वाले सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) को 03 अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने की स्वीकृति।

शेट्टी आयोग की अनुशंसा तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) No. 1022 of 1989 में दिनांक 21.03.2002 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त LLM की उपाधि धारण करने वाले सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) को निम्न प्रकार 03 अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

i. वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो सिविल जज (जूनियर डिवीज़न) में चयन के समय LLM की उपाधि धारण करतें हों को 03 अग्रिम वेतनवृद्धि दी जायगी;
ii. उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा;
iii. यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी;
iv. उक्त वेतनवृद्धि का लाभ इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की तिथि 21.03.2002 के भूतलक्षी प्रभाव से दिया जायेगा; एवं
v. यह वेतनवृद्धि नियुक्ति के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई से दी जाएगी।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-13/ वरीय विविध-03/2010 का०- 4828 / राँची, दिनांक 24/05/16

प्रतिलिपि- श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी ई-गजट, का0, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई-गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/5/16

सरकार के प्रधान सचिव।